

# छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक : 205

प्रकरण क्रमांक—SM-EXP-2024-02499

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध अशोका कोहिनूर फेस-2, प्रमोटर—आरती इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड बिल्डकॉन लिमि, द्वारा—श्री रिभुराज अग्रवाल, पता—आरती हाउस, अशोका रतन, शंकर नगर, जिला—रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट—अशोका कोहिनूर फेस-2, शंकर नगर, जिला—रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
21 / 03 / 2025	<p>— प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>— प्रकरण माननीय अपीलीय अधिकरण से उनके अपील प्रकरण क्रमांक—312 / 2024 में पारित आदेश दिनांक 14 / 02 / 2025 की प्रमाणित प्रति सहित प्राप्त। अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा-60 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनावेदक के विरुद्ध राशि 10,00,000 /— शास्ति अधिरोपित किया गया है। उक्त शास्ति राशि को घटाकर 3,00,000 /— रूपये पर्याप्त मानकर शास्ति अधिरोपित किया गया है।</p> <p>माननीय अपीलीय अधिकरण के पत्र क्रमांक—46 / छ.ग.भू.सं. अ.अधि. / 2025, रायपुर, दिनांक 03 / 03 / 2025 के अनुसार प्रकरण में अधिरोपित शास्ति की राशि 3,00,000 /— प्राधिकरण के खाता क्रमांक—5911887962 में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से दिनांक 01 / 03 / 2025 को स्थानांतरित किया गया है।</p> <p>लेखा शाखा प्रकरण से संबंधित राशि 3,00,000 /— निर्धारित शासकीय मद में जमा कर चालान की प्रति प्रस्तुत किया गया।</p> <p>— आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।</p> <p>— प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ दाखिल किया जावे।</p> <p style="text-align: right;">सही /— (धनंजय देवांगन) सदस्य</p>	